भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *238
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को पहुंच मार्गों से जोड़ना

***238 श्री अरुण कुमार सागरः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे गांवों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक पहुंच मार्गों में नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों , विशेषकर अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में स्थित गांवों को पहुंच मार्गों में जोड़ने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है/बनाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

लोकसभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या238 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को एक बार की विशेष पहल के रूप में आरंभ किया गया था, ताकि जनगणना 2001 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी; विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य श्रेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों और चयनित पिछड़े जिलों में 250+ आबादी; और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों [जैसाकि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अधिसूचित] में 100+ आबादी वाली, ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा सके।

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, यह संपर्क राजस्व ग्रामों के स्तर पर नहीं, बल्कि बसावटों के स्तर पर प्रदान किया जाता है। पीएमजीएसवाई- । के अंतर्गत दिनांक 31.07.2025 तक की स्थिति अनुसार देशभर में कुल 1,63,339 बसावटों के लिए सड़क संपर्क कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,62,818 (99.7%) को सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है। राज्यवार विवरण**अनुबंध** में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में, पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत 11,749 बसावटें स्वीकृत की गई हैं , जिनमें से दिनांक 31.07.2025 तक की स्थिति अनुसार 11,748 बसावटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। शाहजहाँपुर जिले में, पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत 231 बसावटें स्वीकृत की गई हैं, और सभी 231 बसावटें सड़क से जोड़ी जा चुकी हैं। मंत्रालय में संसदीय क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

सरकार ने 11 सितंबर 2024 को पीएमजीएसवाई IV की शुरुआत की है ताकि उन संपर्कविहीन बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की जा सके जो अपनी जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाले, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (अनुसूची V जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों, रेगिस्तानी क्षेत्रों) में 250+ आबादी वाले, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा 9 राज्यों में अधिसूचित किया गया है) में 100+ आबादी वाली संपर्कविहीन बसावटें , कार्यक्रम के जनसंख्या मानदंडों के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल होने के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, पिछड़े और वंचित क्षेत्रों में समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई IV को निम्नलिखित दो लक्षित पहलों के साथ समन्वय में कार्यान्वित किया जा रहा है:

i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए): 2011 की जनगणना के अनुसार , आकांक्षी जिलों में 500+ आबादी और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाली बसावटों, या 250+ श्रेणी में 50+अनुसूचित जनजाति आबादी वाली बसावटों को पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है।

ii) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय): पीएमजीएसवाई- IV के अंतर्गत 500+ आबादी और 40% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाली बसावटों को प्राथमिकता दीगई है।

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत पात्र बसावटों की प्रारंभिक पहचान पूरी हो चुकी है , और मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए गहनता से काम कर रहा है। पीएमजीएसवाई IV के कार्यान्वयन की समय-सीमा मार्च , 2029 तक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) को भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक समर्पित सड़क संपर्क घटक के साथ कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के कुल लक्ष्य में से , 31.07.2025 तक, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की 2,636 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 6,506 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समय-सीमा मार्च, 2028 तक है।

ये व्यापक पहल, विशेष रूप से पिछड़े, जनजाति और अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों में, अंतिम छोर तक सड़क संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं और इस प्रकार बाजारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है।

***

लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं 238 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

योजना के प्रारंभ से लेकर 31.07.2025 तक स्वीकृत, पूर्ण तथा शेष बसावटों का राज्य-वार विवरण																
		कुल स्वीकृत बसावटें					कुल संपर्क युक्त बसावटें					जोड़े जाने वाली शेष बची बसावटें				
क्र.सं.	राज्य का नाम	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल
1	अंडमान और निकोबार	1	6	0	0	7	1	6	0	0	7	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	213	379	642	201	1,435	213	379	632	198	1,422	0	0	10	3	13
3	अरुणाचल प्रदेश	49	126	466	0	641	49	125	443	0	617	0	1	23	0	24
4	असम	5,974	4,642	3,105	0	13,721	5,972	4,642	3,105	0	13,719	2	0	0	0	2
5	बिहार	11,337	14,074	4,553	1,425	31,389	11,308	14,025	4,542	1,405	31,280	29	49	11	20	109
6	छत्तीसगढ़	1,561	4,328	3,847	1,188	10,924	1,560	4,309	3,729	1,031	10,629	1	19	118	157	295
7	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9	गुजरात	402	1,792	854	0	3,048	402	1,792	854	0	3,048	0	0	0	0	0
10	हरियाणा	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

योजना के प्रारंभ से लेकर 31.07.2025 तक स्वीकृत, पूर्ण तथा शेष बसावटों का राज्य-वार विवरण																
		कुल स्वीकृत बसावटें					कुल संपर्क युक्त बसावटें					जोड़े जाने वाली शेष बची बसावटें				
क्र.सं.	राज्य का नाम	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल
11	हिमाचल प्रदेश	197	815	1,549	0	2,561	198	814	1,543	0	2,555	0	1	6	0	6
12	जम्मू और कश्मीर	517	846	777	0	2,140	516	844	772	0	2,132	1	2	5	0	8
13	झारखंड	1,924	3,439	4,173	1,397	10,933	1,924	3,439	4,173	1,417	10,953	0	0	0	0	0
14	कर्नाटक	151	130	15	0	296	151	130	15	0	296	0	0	0	0	0
15	केरल	110	294	0	0	404	109	293	0	0	402	1	1	0	0	2
16	मध्य प्रदेश	5,622	9,480	2,408	12	17,522	5,622	9,480	2,408	12	17,522	0	0	0	0	0
17	महाराष्ट्र	159	759	428	74	1,420	159	758	426	74	1,417	0	1	2	0	3
18	मणिपुर	80	210	362	0	652	80	209	333	0	622	0	1	29	0	30
19	मेघालय	8	121	472	0	601	8	121	457	0	586	0	0	15	0	15
20	मिजोरम	30	103	98	0	231	30	103	98	0	231	0	0	0	0	0
21	नागालैंड	24	40	45	0	109	24	40	43	0	107	0	0	2	0	2
22	ओडिशा	3,677	6,508	5,128	1,688	17,001	3,677	6,508	5,124	1,685	16,994	0	0	4	3	7
23	पंजाब	94	295	0	0	389	94	295	0	0	389	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	1,525	7,316	7,123	0	15,964	1,531	7,317	7,123	0	15,971	0	0	0	0	0
25	सिक्किम	14	133	203	0	350	14	133	203	0	350	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	555	1,430	0	0	1,985	555	1,430	0	0	1,985	0	0	0	0	0

योजना के प्रारंभ से लेकर 31.07.2025 तक स्वीकृत, पूर्ण तथा शेष बसावटों का राज्य-वार विवरण																
		कुल स्वीकृत बसावटें					कुल संपर्क युक्त बसावटें					जोड़े जाने वाली शेष बची बसावटें				
क्र.सं.	राज्य का नाम	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	1000+	500+	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल
27	त्रिपुरा	166	629	1,210	0	2,005	165	623	1,191	0	1,979	1	6	19	0	26
28	उत्तर प्रदेश	5,817	5,793	139	0	11,749	5,816	5,793	139	0	11,748	1	0	0	0	1
29	उत्तराखंड	130	586	1,148	0	1,864	130	586	1,144	0	1,860	0	0	4	0	4
30	पश्चिम बंगाल	6,117	4,602	2,359	150	13,228	6,117	4,602	2,359	150	13,228	0	0	0	0	0
31	तेलंगाना	142	249	204	109	704	142	249	204	108	703	0	0	0	1	1
32	लद्दाख	4	15	46	0	65	4	15	45	0	64	0	0	1	0	1
कुल		**46,600**	**69,141**	**41,354**	**6,244**	**1,63,339**	**46,571**	**69,062**	**41,105**	**6,080**	**1,62,818**	**29**	**79**	**249**	**164**	**521**